

कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम (म0प्र0)

//आदेश//

क्रमांक 1434/दो-11-17/25

नर्मदापुरम, दिनांक 21/04/2026

मैं, श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम कार्यविभाजन आदेश वर्ष 2025 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रतिस्थापित करती हूँ :-

A- पेज क्रमांक 5 की कंडिका 4 "द्वितीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश एवं द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, नर्मदापुरम (श्री अभिनव कुमार जैन)" के समक्ष कॉलम 4 की कंडिका 14 से 28 तक को विलोपित करते हुये कंडिका 14 निम्नानुसार पुनः प्रतिस्थापित की जाती है :-

14- थाना डोलरिया के अंतर्गत समस्त ग्राम के क्षेत्राधिकार में दुर्घटना घटित हुई हो अथवा आवेदक/अनावेदक निवास करता हो, के ऐसे मोटर व्हीकल ऐक्ट 1959, 1988 के अधीन दावा मामले जिनमें पीड़ित को साधारण/गंभीर चोटें आई हो।

B- पेज क्रमांक 6 पर कंडिका 5 निम्नानुसार पुनः प्रतिस्थापित की जाती है :-

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	श्रवणाधिकार
5	तृतीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश एवं तृतीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, नर्मदापुरम (श्री दिनेश कुमार नोटिया)	तहसील माखन नगर	1- सिविल वाद जिनका मूल्यांकन 1,00,00,001/- से अधिक तथा 10,00,00,000/- तक हो। 2- हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 3- लघुवाद अधि० 1877 के अधीन मामले जिनका मूल्यांकन 501 से अधिक तथा 1000/- से अधिक न हो। 4- उपरोक्त सिविल वाद तथा लघुवाद मामलों से उत्पन्न विविध न्यायिक मामले तथा निष्पादन मामले। 5- हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 के अंतर्गत मामले। 6- दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत मामले। 7- इंडियन ल्यूनेसी ऐक्ट 1912 के अंतर्गत मामले। 8- क्षेत्रांतर्गत हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 एवं विवाह संबंधी ऐसे वाद एवं आवेदन जिनकी सुनवाई की अनन्य अधिकारिता जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायालय को है। 9- तृतीय जिला न्यायाधीश, नर्मदापुरम के

			न्यायालय के समस्त सिविल एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से उद्भूत समस्त प्रकरणों / भुगतान आवेदन एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का निराकरण। 11-थाना माखन नगर क्षेत्राधिकार में दुर्घटना घटित हुई हो अथवा आवेदक/अनावेदक निवास करता हो, के ऐसे मोटर व्हीकल एक्ट 1959, 1988 के अधीन दावा मामले जिनमें पीडित को साधारण/गंभीर चोटें आई हो। 12-अन्य कार्य जो प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर निराकरण हेतु सौंपा जावे।
--	--	--	--

C- पेज क्रमांक 9 की कंडिका 11 **“द्वितीय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, नर्मदापुरम”** में वर्णित **“श्रीमती रुचि पांडे”** को विलोपित करते हुये, उसके स्थान पर **“श्री दीपक कनेरिया”** प्रतिस्थापित किया जाता है।

D- पेज क्रमांक 12 की कंडिका 14 **प्रथम सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, इटारसी (श्री सूर्यपाल सिंह राठौर)** को विलोपित किया जाता है।

E- पेज क्रमांक 12 की कंडिका 15 द्वितीय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, इटारसी **(श्रीमती आयुषी गुप्ता)** के समक्ष कॉलम 4 की कंडिका 4 के पश्चात निम्नानुसार कंडिकायें प्रतिस्थापित की जाती हैं :-

- 5- **पंचायत अधिनियम** के अंतर्गत सिविल तथा आपराधिक पुनरीक्षण।
- 6- तहसील इटारसी से उत्पन्न **भारतीय उत्तराधिकार अधि० 1925** के भाग-10 के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के मामले।
- 7- **न.पा. अधि० 1961** की धारा 139 तथा 172 के अंतर्गत अपीलें।
- 8- ऐसे समस्त सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, इटारसी के न्यायालय जो वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं एवं पूर्व में कार्यरत थे। उन समस्त न्यायालयों द्वारा निराकृत समस्त प्रकार के सिविल प्रकरणों से उद्भूत समस्त प्रकरण एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का निराकरण।
- 9- अपीलीय न्यायालय से रिमांड होने वाले समस्त प्रकृति के प्रकरणों का निराकरण।

F- पेज क्रमांक 16 की कंडिका 21 **“द्वितीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश एवं द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सोहागपुर (श्री सुरेश कुमार चौबे)”** को विलोपित किया जाता है।

G- पेज क्रमांक 18 की कंडिका 22 **प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश एवं प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सोहागपुर** को निम्नानुसार प्रतिस्थापित की

जाती है :-

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	श्रवणाधिकार
22	प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश एवं प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सोहागपुर (श्री अतुल सक्सेना)	तहसील सोहागपुर	1- 1,00,00,001 /- से अधिक तथा 10,00,00,000 /- तक के मूल्यांकन के सभी प्रकार के सिविल वाद प्रकरण। उक्त सिविल वाद तथा लघु वाद मामलों से उत्पन्न विविध न्यायिक मामलें तथा निष्पादन मामले। 2- सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सोहागपुर / कनिष्ठ खंड सोहागपुर निर्णय तथा आदेशों के विरुद्ध नियमित सिविल वाद विविध वाद अपीलें। 3- न0पा0 अधिनियम 1961 के अंतर्गत पुनरीक्षण / अन्य याचिकाएँ। 4- हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 5- आपराधिक अपीलें तथा पुनरीक्षण जो न्या0दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सोहागपुर के निर्णय / आदेशों के विरुद्ध हो तथा अनुविभागीय दंडाधिकारी सोहागपुर के आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिकायें। 6- तहसील मुख्यालय सोहागपुर के क्षेत्राधिकार के लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act, 2012) से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण, रिमांड, जमानत याचिकायें एवं अन्य कार्यवाही। 7- थाना सोहागपुर के क्षेत्राधिकार में दुर्घटना घटित हुई हो अथवा आवेदक निवास करता हो अथवा प्रतिवादी निवास करता हो, के मोटर यान अधिनियम 1938 तथा 1988 के अधीन मोटर दुर्घटना दावा के समस्त प्रकार के मामले। 8- हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधि0 1955 के तहत मामले। 9- माध्यस्थ अधिनियम 1996 के अंतर्गत मामले। 10- संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1956 के तहत मामले। 11- तहसील सोहागपुर से उत्पन्न होने वाले सेशन मामले आपराधिक अपीलें तथा आपराधिक पुनरीक्षण जमानत आवेदन पत्र। 12- हिंदू विवाह अधिनियम 1955 एवं विवाह संबंधी ऐसे वाद एवं आवेदन जिनकी सुनवाई की अनन्य अधिकारिता जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायालय को प्राप्त हैं। 13- इंडियन ल्यूनेसी ऐक्ट 1912 के अंतर्गत समस्त प्रकरण। 14- प्रोबेट एवं प्रशासन पत्र के मामले जिनका

			मूल्यांकन 2 लाख से कम हो । 15- ऐसे समस्त अपर जिला/सेशन न्यायाधीश सोहागपुर के न्यायालय जो वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं। उन समस्त न्यायालयों द्वारा निराकृत समस्त प्रकार के सिविल/आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत समस्त प्रकरणों एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का निराकरण। 16- ग्राम न्यायालय सोहागपुर के क्षेत्राधिकार से उद्भूत पुनरीक्षण एवं अपीलें। 17- संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के अंतर्गत मामले। 18- बालको के विरुद्ध अपराधों अथवा बाल अधिकारों के अतिक्रमण के अपराधों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण। 19- माननीय उच्च न्यायालय म०प्र० जबलपुर की रिट पिटीशन क्रमांक 12371/2014 मेग्मा फिनकोर्प लिमिटेड बनाम राजभान सिंह में पारित आदेश दिनांक 30.04.15 के क्रम में प्रस्तुत होने वाले तहसील सोहागपुर के आर्बिट्रेशन के निष्पादन प्रकरण। 20- तहसील सोहागपुर के क्षेत्राधिकार के म०प्र० रियल स्टेट रेग्युलेटोरी एथोरिटी (RERA) भोपाल द्वारा धारा 40 रियल स्टेट (रेग्यूलेशन एंड डवलपमेंट) अधिनियम 2016 एवं नियम 26 म०प्र० रियल स्टेट (रेग्यूलेशन एंड डवलपमेंट) नियम 2016 के अंतर्गत प्रकरणों में पारित आदेशों के निष्पादन प्रकरण। 21- तहसील सोहागपुर के क्षेत्राधिकार की म०प्र० स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 से संबंधित अपीलों का निराकरण। 22- कॉलम 3 में वर्णित क्षेत्राधिकार के लीचिंग एवं मॉब हिंसा के प्रकरण। 23- मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 (मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1-3-2004/4823/2019/21-ब(एक) दिनांक 14.10.2019) 24- प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरणों का निराकरण।
--	--	--	---

H- पेज क्रमांक 18 की कंडिका 23 विलोपित की जाकर कंडिका 23 एवं 23-अ निम्नानुसार पुनः प्रतिस्थापित की जाती हैं :-

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	श्रवणाधिकार
23	सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, सोहागपुर (श्रीमती संगीता डावर मौर्य)	तहसील सोहागपुर	कार्य जो प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर निराकरण हेतु सौंपा जावे।
23-अ	सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, सोहागपुर के न्यायालय अतिरिक्त न्यायाधीश, सोहागपुर (सुश्री अपेक्षा यादव)	तहसील सोहागपुर	1- तहसील क्षेत्र के रू० 5,00,001/- से 1,00,00,000/- तक के मूल्यांकन के सिविल वाद तथा उक्त वादों से संबंधित निष्पादन एवं विविध वाद। 2- लघुवाद मामले जिनका मूल्यांकन 1/- से 500/- तक हो। 3- भारतीय उत्तराधिकार अधि० 1925 के भाग-10 के अंतर्गत प्रस्तुत मामले। 4- दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत मामले। 5- पंचायत अधि० 1981 के अंतर्गत सिविल वाद तथा आपराधिक पुनरीक्षण। 6- नियमित सिविल वाद तथा लघुवाद मामलों से उत्पन्न विविध न्यायिक वाद तथा निष्पादन मामले। 7- न० पा० अधिनियम 1961 की धारा 139 तथा 172 के अंतर्गत मामले। 8- जनपद पंचायत सोहागपुर से उद्भूत ग्राम न्यायालय सोहागपुर के क्षेत्राधिकार के प्रकरण। 9- ऐसे सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सोहागपुर जो पूर्व में पदस्थ थे किन्तु वर्तमान में उनके न्यायालय रिक्त हों उनके न्यायालय द्वारा निराकृत सिविल वादों से उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण। 10- अन्य कार्य जो प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर निराकरण हेतु सौंपे जावे।

I- आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु चार्ट को विलोपित किया जाकर निम्नानुसार पुनः प्रतिस्थापित किया जाता है :-

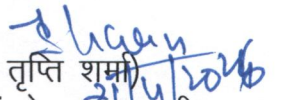
क्र.	अवकाश पर रहने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम	कॉलम नं0 2 के न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने पर	कॉलम नं0 2 एवं 3 के न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने पर	कॉलम नं0 2,3 व 4 के न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने पर
1	2	3	4	5
1	प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम	विशेष न्यायाधीश, (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति) अत्याचार निवारण अधिनियम, नर्मदापुरम	तृतीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम	प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम
2	विशेष न्यायाधीश, (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति) अत्याचार निवारण अधिनियम, नर्मदापुरम	मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, उनकी अनुपस्थिति में सेशन न्यायाधीश एवं उनकी भी अनुपस्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम		
3	प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम	द्वितीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम	तृतीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम	विशेष न्यायाधीश, (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति) अत्याचार निवारण अधिनियम, नर्मदापुरम
4	द्वितीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम	तृतीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम	प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम	विशेष न्यायाधीश, (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति) अत्याचार निवारण अधिनियम, नर्मदापुरम
5	तृतीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम	द्वितीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम	प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम	विशेष न्यायाधीश, (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति) अत्याचार निवारण अधिनियम, नर्मदापुरम
6	प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सिवनी मालवा	तृतीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम	द्वितीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम	प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5
31	प्रथम सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, पिपरिया	प्रथम सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, पिपरिया के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, पिपरिया	प्रथम सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, पिपरिया	द्वितीय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, पिपरिया
32	प्रथम सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, पिपरिया के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, पिपरिया	प्रथम सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, पिपरिया	प्रथम सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, पिपरिया	द्वितीय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, पिपरिया

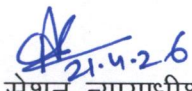

 (श्रीमती तृप्ति शर्मा)
 प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
 नर्मदापुरम (म0प्र0)

पृ० क. 1714 / सां०लि० / 2025

नर्मदापुरम, दिनांक 21 / 04 / 26

कार्यविभाजन पत्रक 2025 में आंशिक संशोधन की प्रतिलिपि :-

- 01- माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
 - 02- समस्त न्यायिक अधिकारीगण, जिला स्थापना, नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनी मालवा/सोहागपुर/पिपरिया
 - 03- अध्यक्ष/सचिव अधिवक्ता संघ, नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनी मालवा/सोहागपुर/पिपरिया
 - 04- प्रस्तुतकार सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम
 - 05- पंजीयन लिपिक, नर्मदापुरम
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


 वास्ते - प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
 नर्मदापुरम (म0प्र0)